प्रारूप नीति

खनिज नीति 2010

मध्यप्रदेश शासन

खनिज साधन विभाग

अनुक्रमणिका

अनु.	विषय	पृष्ठ
	प्रस्तावना	1
1.	खनिजों का सर्वेक्षण पूर्वेक्षण एवं खनिजों के भण्डारों का आंकलन	4
2.	खनिज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण	5
3.	खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन की रोकथाम एवं नियंत्रण	6
4.	खनि रियायतों की स्वीकृति	6
5.	प्रदेश में बहुतायत में पाये जाने वाले खनिजों हेतु खनि रियायत	9
6.	वैज्ञानिक एवं सुनियोजित खनन	10
7.	भूमि उपयोग एवं निरंतर विकास	11
8.	अवसंरचना का विकास	11
9.	आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में खनि रियायतों की स्वीकृति	12
10.	पर्यावरण एवं वन संबंधी अनुमतियाँ	12
11.	खनिज राजस्व में वृद्धि	12
12.	खनन को उद्योग का दर्जा	13
13.	खनन हेतु मानव संसाधन विकास	13

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग

खनिज नीति 2010

प्रस्तावना –

किसी भी राज्य के लिए खनिज आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु प्रकृति के द्वारा प्रदत्त एक सशक्त माध्यम है। इसकी एक निश्चित मात्रा होती है जिसका कि पुनः सृजन अथवा निर्माण नहीं किया जा सकता है। लेकिन इसका वैज्ञानिक एवं सुनियोजित तरीके से यदि दोहन नहीं किया जाता है तो इससे समाज एवं पारिस्थितिकी को अनेकों अपूरणीय क्षति भी हो सकती हैं। प्रदेश के समुचित एवं निरन्तर विकास को सुनिश्चित करने हेतु खनिज संसाधन के दोहन हेतु यह खनिज नीति बनाई गई है। इस नीति के अंतर्गत निरन्तर विकास को प्राप्त करनें के लिये सुनियोजित एवं वैज्ञानिक तरीकों से तथा समस्त पर्यावरण एवं पारिस्थितिकीय विषयों को ध्यान में रखते हुए खनिजों का विकास सुनिश्चित किया जायेगा।

खनिजों पर राज्य का अधिकार है। किन्तु भारत के संविधान के प्रावधानों के तहत खनिजों के विकास में एकरूपता बनाये रखने की दृष्टि से खनिज के विनियमन एवं विकास हेतु अधिनियम एवं नियम केन्द्र सरकार द्वारा बनाये गये हैं। यह केन्द्र सरकार के अधिनियम यथा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 से संचालित होता है। खनिज क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्य, खनिज विकास एवं बहुमूल्य संसाधनों की उपलब्धता पर समग्र रूप से ध्यान रखते हुए केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय खनिज नीति, 2008 घोषित की गई है। केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों की खनिज नीति घोषित करने हेतु मार्गदर्शन भी जारी किये गये हैं। राष्ट्रीय खनिज नीति के उद्देश्यों के अनुरूप ही मध्यप्रदेश शासन द्वारा प्रदेश की नवीन खनिज नीति, 2010 तैयार की गई है।

राज्य की भूगर्भीय संरचना

राज्य की प्रकृति द्वारा प्रदत्त भूगर्भीय संरचना अत्याधिक विभिन्नता प्रदर्शित करती है। राज्य के विभिन्न भागों में पुरातन समय की चट्टानों यथा आर्कियन (Archean) समय से लेकर अद्यतन समय के जलोढ़ (Alluviam) उपलब्ध है। आर्कियन (Archean) तथा प्रोटिरोजोईक (Proterozoic) काल की चट्टानें प्रदेश के लगभग 45 प्रतिशत क्षेत्र में है। यह चट्टानें मुख्यतः बुन्देलखण्ड ग्रेनाइट एवं सौंसर/सकोली समूह की हैं। सौसर/सकोली समूह की चट्टानें राज्य के मैंगनीज अयस्क के भण्डारों के लिये जानी जाती हैं। इसके पश्चात मध्य एवं उच्च प्रोटिरोजोईक (Proterozoic) समूह की चट्टाने हैं, जिसे ''पुराना समूह'' कहा जाता है। इसमें विन्ध्यन, बिजावर तथा ग्वालियर समूह की चट्टानें आती हैं। हीरा धारित किम्बरलाइट चट्टानें इसमें अंतर्विष्ट (Intrusive) के रूप में पाई जाती है। इस समूह की चट्टानों में चूनापत्थर, डोलोमाइट एवं फास्फोराइट के भण्डार भी पाये जाते हैं। राज्य का लगभग 10 प्रतिशत भाग गोंडवाना समूह की चट्टानों से आच्छादित है। इसमें कार्बोनिफेरस (Carboniferous) समय से लेकर क्रेटेशियस (Cretaceous) समय में निर्मित मुख्यतः सेंड स्टोन (Sand Stone) है। इस समूह में राज्य के कोयला भण्डार हैं। राज्य का 35 प्रतिशत भाग ज्वालामुखी चट्टान बेसाल्ट (Volcanic Rock Basalt) से आच्छादित है। डक्कन ट्रैप बेसाल्ट (Deccan Trap Basalt) राज्य के मण्डला, जबलपुर, बालाघाट एवं सिवनी आदि जिलों में उच्च पठार का निर्माण करते हैं। यह सतना जिले में विन्ध्यन के ऊपर तथा मध्यप्रदेश के दक्षिण पश्चिम भाग – इन्दौर, खरगोन, खण्डवा आदि जिलों में फैला हुआ है। इसके भौमिकीय युग में हुए अपरदन (Weathering) से प्रदेश के बाक्साइट एवं लेटेराइट खनिजों के भण्डारों का निर्माण हुआ है। बालाघाट जिले के उत्तर पूर्व में स्थित मलांजखण्ड ग्रेनाइट में प्रसिद्ध मलांजखण्ड ताम्र भण्डार हैं। क्र्वाटरनरी (Quaternary) समय के जलोढ़ (Alluviam) नर्मदा, ताप्ती एवं चम्बल नदी घाटी में विस्तृत रूप से पाये जाते हैं। इन नदी घाटियों, विशेषतया नर्मदा घाटी में पूर्व मानव सभ्यता के चिन्ह मिले हैं।

प्रदेश की खनिज संपदा

मध्यप्रदेश राज्य, भारत के खनिज संपन्न राज्यों में से एक है। राज्य को हीरे के उत्पादन में एकाधिकार प्राप्त होने के साथ ही वर्ष 2008–2009 के दौरान राज्य देश में हीरा, डायस्पोर, ताम्र अयस्क तथा पायरोफिलाइट के उत्पादन में प्रथम स्थान पर, रॉक फास्फेट, शेल, फायरक्ले के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर तथा मैंगनीज, चूनापत्थर एवं ओकर खनिज के उत्पादन में तृतीय स्थान पर रहा है। कोयला उत्पादन में राज्य चतुर्थ स्थान पर रहा है।

इंडियन ब्यूरों ऑफ माइन्स के द्वारा प्रकाशित ''इंडियन मिनरल ईयर बुक'' आधारित प्रदेश में पाए जाने वाले मुख्य खनिजों के कुल भण्डार की जानकारी परिशिष्ट –1 में दी गई है। वर्ष 2008–09 में प्रदेश में लगभग 7500 करोड़ रूपये मूल्य के खनिजों का उत्पादन हुआ तथा इससे प्रदेश को रूपये 1361.08 करोड़ का राजस्व खनिज रायल्टी के रूप में प्राप्त हुआ है। खनिज उत्पादन तथा खनिज राजस्व की विस्तृत जानकारी परिशिष्ट 2 एवं 3 में दी गई है।

प्रदेश में वर्ष 2008–09 की स्थिति में राज्य में विभिन्न खनिजों के 1104 खनिपट्टे, 96 पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियां तथा 43 अवीक्षी अनुज्ञापत्र स्वीकृत थे। इसके अतिरिक्त गौण खनिजों के खनन हेतु 4851 उत्खनिपट्टे तथा 4561 घोष विक्रय खदानें भी कार्यरत थीं।

खनिज नीति, 2010

(1) खनिजों का सर्वेक्षण पूर्वेक्षण एवं खनिजों के भण्डारों का आंकलन

❖ भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग एवं राज्य शासन के संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म, जो कि खनिजों के सर्वेक्षण, पूर्वेक्षण एवं खनिज भण्डारों के आंकलन करने के लिए दो महत्वपूर्ण संस्थायें हैं, आपस में अधिक समन्वय तथा उपलब्ध जानकारी का आदान–प्रदान सुनिश्चित करेंगी।

❖ संचालनालय को खनिजों के अन्वेषण हेतु अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से सुसज्जित किया जावेगा। संचालनालय के तकनीकी अमले को समय सीमा में खनिजों के अन्वेषण में प्रयुक्त होने वाली अत्याधुनिक तकनीक एवं प्रौद्योगिकी हेतु प्रशिक्षित किया जावेगा।

❖ प्रदेश में खनिजों की खोज में निजी क्षेत्र की सहभागिता प्रोत्साहित की जावेगी जिससे अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाकर खनिज के नवीन भण्डारों का आंकलन किया जा सकेगा।

❖ उच्च श्रेणी के साथ निम्न श्रेणी के खनिजों का एक निश्चित अनुपात में मिश्रण कर उपयोग किये जाने का अध्ययन एवं उपयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

❖ खनिजों के अन्वेषण, खनिज प्रशासन के सुदृढ़ीकरण तथा खनिज धारित क्षेत्र के विकास के लिये खनि विकास निधि बनाई जाएगी। खनिजों के कुल राजस्व का 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष खनि विकास निधि के लिए निर्धारित की जावेगी। इस राशि का उपयोग खनिजों के अन्वेषण, खनिज प्रशासन के सृदृढ़ीकरण, नए खनिजों का विकास एवं खनिज धारित क्षेत्र में अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए किया जावेगा।

- ❖ बहुमूल्य धातुओं यथा गोल्ड, बेसमेटल्स, प्लेटिनम, डायमण्ड एवं लो ग्रेड आयरन ओर (Low Grade Iron Ore) की खोज को विशेष प्राथमिकता दी जावेगी।

- ❖ खनिजों की खोज के लिए भविष्य में सिर्फ बहुमूल्य धातुओं एवं सतह पर बहुतायत से न पाये जाने वाले खनिजों के अवीक्षी अनुज्ञा दिए जाने को प्रोत्साहित किया जावेगा। सतह पर या बहुतायत से उपलब्ध खनिजों के लिए अवीक्षी अनुज्ञा दिए जाने को निरूत्साहित किया जायेगा।

- ❖ स्टेट जिओलॉजिकल प्रोग्रामिंग बोर्ड (State Geological Pragramming Board) में निजी क्षेत्र के तकनीकी विशेषज्ञों, विश्वविद्यालयों के भू–विज्ञान विषय के विद्वानों, खनन क्षेत्र में संलग्न कुछ उद्योग समूहों को भी सम्मिलित किया जावेगा।

- ❖ खनिजों के भंडारों के आंकलन हेतु यू.एन.एफ.सी. (यूनाईटेड नेशन फ्रेम वर्क आफ क्लासिफिकेशन) को पूरी तरह से अंगीकार किया जावेगा।

(2) खनिज प्रशासन का सुदृढ़ीकरण

- ❖ गौण खनिज जिसमें ग्रेनाइट एवं मार्बल शामिल हैं, की स्वीकृति के अधिकारों का अधिकतम सीमा में विकेन्द्रीकरण किया जायेगा।

- ❖ समस्त प्रकार की खनि रियायतों की स्वीकृति की प्रक्रिया को पारदर्शी एवं जवाबदेह बनाने के लिये आवेदनों की कम्प्यूटर आधारित ऑन लाईन ट्रेकिंग की व्यवस्था की जावेगी।

- ❖ प्रदेश के संचालनालय, क्षेत्रीय तथा जिला कार्यालयों को बेहतर क्षमता एवं संचालन के लिए आधुनिकृत किया जावेगा।

(3) खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन की रोकथाम एवं नियंत्रण

- ❖ खनिजों के अवैध उत्खनन एवं परिवहन पर सक्षम सतर्कता हेतु मुख्य मार्गों पर अन्य विभागों के समन्वय से तौल मशीन तथा जांच नाका की स्थापना की जायेगी।

- ❖ खनिजों की अवैध निकासी एवं परिवहन किये जाने पर प्रभावी रोक के लिये नियमों को और अधिक कठोर बनाने की कार्यवाही की जावेगी।

- ❖ विभिन्न चरणों में प्रदेश में ई परमिट से खनिजों के परिवहन की पध्दति विकसित की जायेगी।

- ❖ राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय टास्क फोर्स एवं उड़नदस्तों को और अधिक प्रभावशाली एवं अधिकार सम्पन्न बनाया जायेगा।

- ❖ उच्च स्तरीय रिजोल्युशन उपग्रह डाटा का अवैध खनन की पहचान के लिये प्रयोग किया जावेगा। खनन क्षेत्र की अवस्थिति की सटीकता सुनिश्चित करने हेतु खनिपट्टा स्वीकृति/नवीनीकरण करते समय ग्रिड आधारित मानचित्र आवश्यक कर दिये जायेंगे।

- ❖ नियमों का उल्लंघन करने वाले एवं दोषियों को नई खनि रियायतों की स्वीकृति अथवा उसे प्रदत्त खनिपट्टे के नवीनीकरण पर विचार नहीं किया जावेगा।

(4) खनि रियायतों की स्वीकृति

- ❖ आवेदनों के निराकरण को नियमों में प्रावधानित समयसीमा में निराकृत करना सुनिश्चित किया जावेगा। इसे और अधिक पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिये खनि रियायतों के आवेदन ऑन लाईन लिये जायेंगे।

- टोही परमिट के लिये प्राप्त आवेदनों पर त्वरित कार्यवाही की जावेगी एवं यह सुनिश्चित किया जायेगा कि टोही परमिट के माध्यम से प्राप्त डाटा को बंधनकारी समयसीमा के उपरान्त संचालनालय की वेबसाईट पर उपलब्ध कराया जायेगा जिससे कि यह डाटा अन्य संभावित उद्यमियों को सुगमता से उपलब्ध हो सके।

- संभावित खनिज धारित क्षेत्रों, जहाँ विस्तृत अन्वेषण द्वारा भण्डार का आंकलन किया जाना हो, इन क्षेत्रों का विवरण राजपत्र में प्रकाशित कर निश्चित समय सीमा में आवेदन आमंत्रित किये जायेगे।

- अवीक्षी अनुज्ञा से पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति तथा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति से खनिपट्टा में बाधारहित परिवर्तन के सिद्धान्त का पालन किया जावेगा।

- ऐसे खनिज धारित क्षेत्र को, जिनमें भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण/संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म/खनिज गवेषण कार्पोरेशन लिमिटेड या अन्य स्त्रोतों द्वारा खनिज भण्डारों का आंकलन तथा प्रमाणन किया गया है को भारत सरकार द्वारा खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957, में संशोधन अधिसूचित होने के साथ ही, नीलामी की प्रक्रिया के माध्यम से स्वीकृत किया जावेगा।

- यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज धारित क्षेत्रों को ऐसे तरीकों से अधिसूचित तथा स्वीकृत किया जाये जिससे कि खनिज भण्डारों का विखण्डन एवं अपव्यय कम हो तथा खदानों का विकास वैज्ञानिक ढ़ंग से किया जाना एवं शून्य अपव्यय खनन का सिद्धान्त सुनिश्चित किया जावेगा।

- प्रत्येक खनि रियायतधारी की खनिज की आवश्यकता का वैज्ञानिक आंकलन कर यह सुनिश्चित किया जावेगा कि किसी भी व्यक्ति को उसकी आवश्यकता से अधिक प्राप्त न हो सके।

- प्रदेश में खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना करने वाले आवेदकों को खनि रियायत की स्वीकृति में प्राथमिकता दी जायेगी जिससे कि प्रदेश की आर्थिक एवं सामाजिक प्रगति हो सकेगी। खनि आधारित उद्योगों की स्थापना करने वाले आवेदकों को निम्नानुसार बिन्दुओं पर विचार करते हुए प्राथमिकताएं दी जायेंगी :–
  - (अ) प्रस्तावित पूंजी निवेश की सीमा तथा राज्य के साथ किए गए 'मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग'
  - (ब) 'मेमोरेण्डम ऑफ अन्डरस्टेंडिंग' करने वाली कंपनियों में से उस कंपनी को प्राथमिकता दी जायेगी जिनके द्वारा अन्त उपयोग के लिए संयंत्र की स्थापना हेतु आवश्यक अनुमतियां तथा वित्तीय संस्थानों से ऋण प्राप्त कर लिया हो
  - (स) राज्य में खनिजों का मूल्य संवर्धन
  - (द) खनन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए उपयोग में लायी जाने वाली आधुनिक तकनीक
  - (इ) खदान की अवधि में रायल्टी के प्रतिशत के संदर्भ में आसपास के क्षेत्रों में संस्थागत सामाजिक दायित्व की वचनबद्धता

- जिसे खनि रियायत स्वीकृत की जा रही है उससे उसकी वचनबद्धता सुनिश्चित करने के लिए परियोजना लागत की 2 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी या सावधि जमा अनुबंध निष्पादन के पूर्व ली जावेगी।

❖ खनि रियायतों के प्राप्त प्रकरणों की स्वीकृति के अनुश्रवण के लिये प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक अनुश्रवण समिति का गठन किया जायेगा। यह समिति खनिज आधारित उद्योगों को लगने वाली समस्त अनुमतियों तथा राज्य शासन की खनिज नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा भी करेगी।

(5) प्रदेश में बहुतायत में पाये जाने वाले खनिजों हेतु खनि रियायत

❖ प्रदेश में चूनापत्थर, आयरन ओर, मैगनीज,बाक्साइट खनिज बहुतायत में पाये जाते हैं। प्रदेश में रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा पूंजी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से इन खनिजों की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध होने के कारण इन पर आधारित मूल्य संवर्धन करने वाले आवेदकों को ही खनि रियायत स्वीकृत करने में प्राथमिकता दी जायेगी।

❖ प्रदेश में ताप विद्युतगृह स्थापित होने वाले हैं। इन्हें चूनापत्थर खनिज की खनि रियायत स्वीकृति में सर्वोच्च प्राथमिकता दी जावेगी, जिससे वे सीमेंट निर्माण में फ्लाय एश (fly ash) का उपयोग कर सकें।

❖ जहाॅ कि इन खनिजों के भंडार की कम मात्रा में होने से तथा इनकी अवस्थिति के कारण मूल्य संवर्धन इकाई की स्थापना करना आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होगा उन्ही प्रकरणों में मात्र खनिज विक्रय हेतु खनि रियायत स्वीकृत की जायेगी।

❖ राज्य शासन खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 11(3) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश हित में अतिरिक्त शर्तों का समावेश कर सकेगी। भविष्य में उन्हीं आवेदकों को प्राथमिकता दी जावेगी जो कि निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप होंगे तथा आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए संस्थागत सामाजिक दायित्व के

निर्वहन हेतु वचनबद्धता देंगे। एक से अधिक समान क्षमताओं वाले आवेदकों में से उन आवेदकों का प्राथमिकता दी जायेगी जिनके द्वारा खनन क्षेत्र के आसपास के क्षेत्रों में संस्थागत, सामाजिक दायित्व की वचनबद्धता का ठोस एवं उच्चतम आश्वासन प्रस्तुत करेगा। आवेदकों की वचनबद्धता हेतु शर्तें अनुबंध का अतिरिक्त भाग होंगी।

(6) वैज्ञानिक एवं सुनियोजित खनन

- खनिज रियायतों की स्वीकृति 'जीरो वेस्ट' के सिद्धान्त पर आधारित होगी। राज्य शासन, भारतीय खान ब्यूरो एवं महानिदेशक खान सुरक्षा विभाग निर्धारित प्रावधानों के अनुसार वैज्ञानिक दृष्टि से सुनियोजित खनन सुनिश्चित करावेंगे। इस हेतु इन तीनों एजेंसीयों के मध्य में और अधिक समन्वय स्थापित कराया जायेगा।

- संचालनालय भौमिकी एवं खनिकर्म में माईनिंग प्लान एवं माइन क्लोजर प्लान के बनाने एवं उसके क्रियान्वयन के लिये विशेषज्ञता विकसित की जायेगी। संचालनालय के द्वारा खनन संक्रियाओं की नियमित समीक्षा की जायेगी।

- प्रदेश में अयस्क की श्रेणी उन्नयन तकनीक तथा तकनीकी—आर्थिक प्रतिवेदन तैयार करने की भी विशेषज्ञता विकसित किये जाने की कार्यवाही की जावेगी।

- राज्य में स्वीकृत मुख्य खनिजों की खनि रियायतों का जिला स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा वार्षिक निरीक्षण किया जाएगा। जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि समस्त नियमों विशेषकर खनिज नियमों, पर्यावरण नियमों एवं श्रम कानूनों का पूर्ण पालन हो रहा है।

(7) भूमि उपयोग एवं निरंतर विकास

खनिजों के सुनिश्चित विकास की दृष्टि से पर्यावरण एवं पारिस्थितिक का पूरा ध्यान रखा जायेगा। खनिजों के विकास से होने वाली क्षति की प्रतिपूर्ति के लिये वृक्षारोपण पर्यावरण एवं पारिस्थितिक अनुशंसाओं का एवं नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा। खान बंद करनें की योजना तैयार करने एवं क्रियान्वयन में स्थानीय संस्थाओं जैसे पंचायत, गैर सरकारी संगठन को भी जोडा जायेगा।

(8) अवसंरचना का विकास

- ❖ खनिजों के निष्कर्षण एवं उपयोग और खनिज आधारित उद्योगों के संवर्धन के लिए अवसंरचना का विकास एक बुनियादी जरूरत है। खनिज धारी क्षेत्रों में मौजूदा अवसरंचना पर्याप्त नहीं है। अतः खनन क्षेत्रों के अन्दर सड़कों का विकास और रेल्वे स्टेशन को जोडने वाली सड़कों के रखरखाव को उच्च प्राथमिकता दी जायेगी।

- ❖ खनन क्षेत्र में अयस्क को कन्वेयर बेल्ट (Conveyer belt)] रोप वे (Roap way) और अन्य इसी प्रकार की विधियों के माध्यम से रेल्वे साइडिंग (Railway siding), स्टाक यार्ड (Stock Yard) तक ले जाने को प्रोत्साहित किया जाएगा। जिससे कि प्रदूषण, भीड भाड़ एवं सड़कों को खराब होने से बचाया जा सकेगा।

- ❖ राष्ट्रीय खनिज नीति के प्रावधानों के अनुसार खनन क्षेत्र के इर्द–गिर्द अवसरंचना के विकास हेतु भारत सरकार से जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीनीकरण मिशन (Jawaharlal Nehru National Urban Renewal Mission) के अनुरूप खनन क्षेत्र में अवसंरचना और अन्य विकास के लिए एक योजना कार्यक्रम प्रस्तुत किया जायेगा।

(9) आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में खनि रियायतों की स्वीकृति

अधिसूचित क्षेत्रों जिसमें कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों की बहुलता है में खनि रियायतों की स्वीकृति विशेष परिस्थितियों में दी जायेगी। इन क्षेत्रों में खनि रियायत की स्वीकृति में मध्यप्रदेश राज्य खनिज निगम को प्राथमिकता दी जायेगी। वे स्थानीय अनुसूचित जनजाति समुदाय, संगठनों अथवा सहकारी समितियों के सहयोग से खनन संक्रियाएं सुनिश्चित करेगे। राज्य ऐसे अनुसूचित जनजाति की संस्थाओं को तकनीकी एवं आर्थिक एवं विपणन की सहायता भी उपलब्ध कराने का प्रयास करेंगे।

(10) पर्यावरण एवं वन संबंधी अनुमतियॉ

- ❖ राज्य सरकार वन क्षेत्रों में खनि रियायतों से संबंधित आवेदनों का एक समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित करेगी। राज्य सरकार प्रदेश में ऐसे क्षेत्रों का चिन्हांकन करेगी जहॉ खनन से संबंधित गतिविधियों से पारिस्थितिकी और पर्यावरण को अपूरणीय क्षति हो सकती है एवं ऐसे क्षेत्रों को 'खनन हेतु अनुपलब्ध' (No Go) घोषित किया जायेगा। राज्य सरकार प्रदेश में प्रतिपूरक वन रोपण के लिए उपयुक्त क्षेत्र का चयन कर एक लैंड बैंक भी बनायेगी जिससे कि वन संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत शीघ्र अनुमतियॉ भारत सरकार से प्राप्त की जायेगी।

- ❖ संरक्षित एवं आरक्षित वन क्षेत्रों में कम मूल्य के खनिजों (मुख्य एवं गौण खनिज) की खनि रियायत स्वीकृति को हतोत्साहित किया जाएगा।

(11) खनिज राजस्व में वृध्दि

- ❖ वर्तमान बाजार दरों के अनुपात में गौण खनिजों की रायल्टी की दरों को पुनरीक्षित किया जावेगा।
- ❖ फर्शीपत्थर की खदानों को पारदर्शी नीलामी के माध्यम से स्वीकृत किया जायेगा।

(12) खनन को उद्योग का दर्जा

खनिजों की खोज एवं खनन कार्य को उद्योग का दर्जा दिये जाने हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(13) खनन हेतु मानव संसाधन विकास

- ❖ खनिज क्षेत्र को जीवन्त एवं और अधिक गतिशील बनाने के लिए उपयुक्त तकनीकी मानव संसाधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना आवश्यक है। अतः प्रदेश में तकनीकी शिक्षण संस्थाओं में खनन अभियांत्रिकी संबंधी स्नातक एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कराने के प्रयास किये जावेंगे। इसके साथ ही अन्य तकनीकी अमला जैसे खान फोरमेन, मेट, खान ब्लास्टर, खान सर्वेयर आदि की योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु प्रदेश के औद्योगिक तकनीकी संस्था में उपयुक्त प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी।

- ❖ औद्योगिक तकनीकी संस्थानों में पाठ्यक्रम की संरचना तथा संचालन में खनिज उद्योगों की सक्रिय सहयोगिता सुनिश्चित की जाएगी।

- ❖ खनन उद्योगों को औद्योगिक तकनीकी संस्था प्रारंभ करने के लिए प्रोत्साहित किया जायेगा।

- ❖ इंडियन स्कूल आफ माइन्स (Indian School of Mines) धनबाद द्वारा सिंगरौली में प्रस्तावित संस्थान हेतु आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जायगी।

परिशिष्ट–1

मध्यप्रदेश के मुख्य खनिज भण्डारों का विवरण*

(01.04.2005 की स्थिति में)

क्रमांक	खनिज	इकाई	कुल भण्डार
1	ताम्र अयस्क	हजार टन	404348
2	हीरा	कैरेट	1454958
3	डायस्पोर	टन	3616824
4	डोलोमाइट	हजार टन	1975779
5	चूना पत्थर	हजार टन	5921183
6	मैंगनीज अयस्क	हजार टन	62422
7	रॉक फास्फेट	टन	50433710
8	पायरोफिलाइट	टन	15610797
9	कोयला (01.01.06 की स्थिति में)	मिलियन टन	1975837

* स्त्रोतः (मिनरल ईयर बुक – भारतीय खान ब्यूरो, 2006)

खनिज उत्पादन

(उत्पादन लाख टन में)

क्र0	खनिज का नाम	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (प्रावधिक)
1	कोयला	526.83	555.79	597.26	679.54	708.10
2	चूनापत्थर	249.38	252.74	284.11	256.40	255.10
3	ताम्र अयस्क	20.54	17.06	22.70	21.92	16.04
4	मैंगनीज अयस्क	4.47	4.25	4.75	5.68	7.25
5	हीरा (कैरेट में)	78000	44170	2180	601	592
6	डोलोमाइट	1.28	1.29	1.67	1.64	1.70
7	बॉक्साइट	1.86	1.02	1.44	4.55	5.10
8	रॉक फास्फेट	0.87	1.78	1.93	1.20	1.35
9	डायस्पोर / पायरोफिलाइट	2.06	1.58	1.24	1.83	1.88
10	फायरक्ले	0.59	0.75	0.51	0.56	0.58
11	लेटेराइट	0.76	1.42	0.83	1.24	1.40
12	कैलसाइट	0.15	–	–	–	–
13	आयरन ओर	–	4.64	12.12	22.16	11.10
14	स्लेट	0.04	4.26	4.75	5.57	2.00
15	केओलीन	0.15	0.17	0.15	0.10	0.06
16	गेरू	0.23	0.18	0.25	0.35	0.38
17	क्ले (अन्य)	–	1.12	4.43	2.42	2.00
18	अन्य मुख्य खनिज	2.11	0.40	0.50	0.60	0.55
योग मुख्य खनिज		**811.32**	**848.45**	**938.64**	**1005.76**	**1014.59**
योग गौण खनिज 0853		**249.16**	**390.73**	**435.28**	**572.05**	**630.00**
महायोग		**1134.55**	**1239.18**	**1373.92**	**1577.81**	**1644.59**

टीप : महायोग में हीरा का उत्पादन शामिल नही है।

परिशिष्ट–3

खनिज राजस्व

(राशि करोड़ रूपयों में)

क्र0	खनिज का नाम	2004–05	2005–06	2006–07	2007–08	2008–09 (प्रावधिक)
1	कोयला	533.95	569.09	609.06	770.97	966.22
2	चूनापत्थर	119.95	131.03	145.55	144.61	141.22
3	ताम्र अयस्क	9.20	10.14	22.50	21.69	13.22
4	मैंगनीज अयस्क	4.17	4.74	5.43	9.81	21.94
5	हीरा (कैरेट में)	4.18	4.53	1.52	0.71	0.09
6	डोलोमाइट	1.03	1.04	1.10	1.34	1.65
7	बॉक्साइट	1.26	1.05	1.52	3.84	9.30
8	रॉक फास्फेट	0.65	0.76	0.44	0.75	0.78
9	डायस्पोर / पायरोफिलाइट	0.80	0.56	0.50	1.03	1.06
10	फायरक्ले	0.52	0.36	0.37	0.21	0.20
11	लेटेराइट	0.40	0.27	0.52	0.64	0.73
12	कैलसाइट	0.02	–	–	–	–
13	आयरन ओर	–	0.29	1.17	2.09	0.90
14	स्लेट	0.01	0.08	0.08	0.09	0.03
15	केओलीन	0.03	0.04	0.08	0.09	0.05
16	गेरू	0.02	0.10	0.08	0.11	0.22
17	क्ले (अन्य)	–	0.04	0.09	0.12	0.09
18	अन्य मुख्य खनिज	6.33	2.78	5.81	21.74	32.98
योग मुख्य खनिज		**682.52**	**726.90**	**795.82**	**979.84**	**1190.68**
योग गौण खनिज 0853		**51.20**	**92.48**	**128.09**	**145.55**	**170.40**
महायोग		**733.72**	**819.38**	**923.91**	**1125.39**	**1361.08**